

卷之三

卷之三

100% natural clay offers  
the best protection  
from the sun.

UNIT 17 | अप्पाजी

版權所有: 電子書架 21 網管員

**विषय:-** श्री कमलेन्द्र राजू कामरुर यात्रा, लोकसभा की बैठक में उनकी विभिन्न विधियाँ ऐसे प्रत्यापिता द्वारा की गयी गिरावट।

卷之三

उपर्युक्ता विषय की ओर प्राप्ति के द्यान भ्रातृत्व करते ही हैं यह तरहों का निर्देश होता है कि उक्त संबंधित विषयालय से **विद्युत विद्युतीय** विद्युतीय संस्कृता विद्युत ज्ञानार्थित प्रमाण पत्र दिये जाने अंतर्गत इस राज्य तरकार के विद्युतीय विद्युत ज्ञानार्थित नहीं है :-

੧੧ ਪਿਲਾਤਸ ਜੀ ਪੁੰਜੀ ਛੂਟ ਤੋਲਾ ਪਟਾ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਵਾਂ ਲਾਗੂ  
ਯਾਉਣਾ ?

121 विधालय की प्रबंध संस्कृति में लाभ निरोगी दारा संवित एवं लक्षण देगा।  
122 विधालय में छम से छठ 10 प्रतिशत व्यापक उपर्युक्त व्यापक संविति के  
भेदभावी इच्छाओं के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे उप्रौढ़ता विधालय की  
वैतिक विधा परिषद् द्वारा संचारित विधान से विभिन्न व्याकों के  
निस निधारित उन्क से अधिक उन्क नहीं विधा जाएगा।

१५१ संत्था द्वारा राज्य सरकार है कि अनुदान ली गई नहीं तो जारी नहीं और प्रदि पूर्व में विधानसभा आपदाप्रिय विधा परिषद् उथा विधा परिषद् ते मान्यता प्राप्त है तथा विधानसभा ती संबद्धता नेट्रोरिय परिषद् विधा परिषद्/वैकल्पिक भारत द्वि विधानसभा लक्ष्मीनारायण इकान्तिको नहीं तो प्राप्त होती है तो उह परीक्षा वर्ड ते उक्ता नेट्रोरिय परिषद् ती संबद्धता प्राप्त होते ती तिथि है ३०५० आपदाप्रिय विधा पारिषद् द्वारा प्रदत्ता मान्यता तथा राज्य सरकार है प्राप्त अनुदान लिखा जाएगा।

- 151 ਸੀਧਾ ਕੇ ਭੈਂਡ ਕੁੰਜ ਕਿਸੌਰਾਲ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ  
ਗਿਰ ਸੰਖਾਨੀ ਕੇ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਅਨੁਕੂ ਸੋਨਾਵਾਨੀ ਰਾਮ ਤੁਲਾ ਪ੍ਰਤੀ  
ਨੇ ॥ ਬੈਕਾਵਾਨ ਰਾਮ ਤੁਲਾ ਮਹੀ ਕਹੀ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ॥

161 ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਭੈਂਡ ਗੁੰਜ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ  
ਗਿਰ ਸੰਖਾਨੀ ਤੁਲਾਕੁਰ ਕਾਲਾਫਿਲ ਕੁਝ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਤੁਲਾ ਭੈਂਡ  
ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ ॥

171 ਰਾਮ ਤੁਲਾਕੁਰ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ  
ਸੀਧਾ ਕੇ ਭੈਂਡ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ॥

181 ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ  
ਗਿਰ ਸੰਖਾਨੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ ਕਿਆਰਿਦੀ ਹੈ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਾਹਵਾਹ ਤੁਲਾ

卷之三

**ENCL. 5**

8

ਸੰਖਧਾ - ੩

/15-7-04-16

ପ୍ରମାଣି

३५४ शुक्रवार

三

प्रिया विनाश के साथ  
स्वेच्छा देखो देखो देखो  
स्वित्तु देखो देखो ।

सिंहा १७६ अन्तभाग

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ: ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: ੩੧ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੦੬

प्रियः -

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੁਹਾਨੀ ਵਿਦਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर जापानी ध्यान गारुड़ करते हुए पुण्ड्र घट कहने का निर्देश हुआ है जिसका संदर्भित विधानशाला का **विधायिका** नामिताली से तंकटा हेतु अनापात्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य संरक्षण को निम्नलिखित पांचवें के अधीन आपात्ति नहीं है :-

१।। विद्यालय की प्रेसीडेंट सोसायटी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।

21 जिनपदी की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

१३। विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के

ऐपांदी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०४० मार्गशिक्षा परिषद्/बैलिक शिक्षा परिषद् द्वारा संयोगित विद्यालयों में विभिन्न क्षात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

१५४ तंत्राद्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और प्रदि पूर्व में विधालय आधिकारिक शिक्षा परिषद अथवा बैतिक शिक्षा परिषद ते मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय आधिकारिक शिक्षा परिषद/कौशिल पार विधालय। इन सभी प्रक्रियों के कारण नक्तिलीसी से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उसके केन्द्रीय परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होने की तिथि से ३०५० आधिकारिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार ते प्राप्त अनुदान स्वतः संबद्ध हो जाएगे।

F. Timothy - S. Pauline Principal 2

Principal  
Tonys School Fa  
abugarh-245201  
Ghaziabad

J Manager Sengpi.  
St. Anthony's Seminary  
Tataipur, Rupnagar

- १५। संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणीय सहायता प्राप्त होना संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को राजनीय सहायता प्राप्त होनी चाही तेजतमान तथा अन्य भले नहीं किये जायें।
- १६। कैलान मान तथा अन्य भले नहीं किये जायें। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त होनी चाही तेजतमान तथा अन्य भले नहीं किये जायें।
- १७। अशासनीय उच्चतर माध्यमिल विधालयों द्वारा कर्मचारियों की अनुमति सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायें।
- १८। राज्य सरकार द्वारा संघ-संसद पर जो भी ग्रान्ट निर्भीत रखें जायें।
- १९। विधानसभा द्वारा निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। उक्त शर्तों में राज्य सरकार लेखानुसूचने के बिना कोई परिवर्तन/तंशीधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय इह पाला जाता है तो संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा सकता है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूँफ पा गिरियाता भरती जा सकती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

• श्री उमर अली  
भवदीय

२००० एवं दिनांक त्वैव

प्रार्तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ऐंगित :-

- १- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- २- अड्डनीय संगुका शिक्षा निदेशक, भैरव।
- ३- अंजला विधालय निरीक्षक, भैरव।
- ४- निरीक्षक, जांगल भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५- प्रबंधक, श्री अंजला विधालय, भैरव।
- ६- गार्ड बुक।

आज्ञा मे

F Timothy  
MANAGER

ST. ANTHONY'S SCHOOL

TATARPUR, HAUZ KASHI, DELHI

DISTT. GHAZIABAD (U.P.)

ST. Anthony's School Tatarpur

Babuganj-34121

Distt. Ghaziabad

F Timothy  
Manager  
St. Anthony's School  
Tatarpur, Hapur  
U.P., India

संख्या -

/15-7-04-16/

प्रेषक,

सेवा में

शिक्षा । 17। अनुभाग

विषय:-

लखनऊ: दिनांक: ३१ अगस्त २०१४

महोदय,

उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे घड़ कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १।। विद्यालय की प्रिंजी कूट सोसायटी का सम्पत्ति-सम्पत्ति पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- २।। विद्यालय की प्रबंध समिति में जाक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- ३।। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भैयाची बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०मा०शिक्षा परिषद्/ बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न क्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- ४।। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय आधिकारिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता कैन्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल स्टीर्फिकेट इकाइमेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त कैन्ट्रीय परिषद् की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र०मा०शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

१५।

-2-

संस्था के शैक्षिक स्वं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से ही वैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

१६।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

१७।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

१८।

विद्यालय का रिळाई निधारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

१९।

उक्त शर्तों में राज्य सरकार लैप्रवार्तुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शाखिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

\* \* \* \* \*

पू०सं०स्वं दिनांक त्वैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

२- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ।

३- जिला विद्यालय निरीक्षक, ।

४- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

५- प्रबंधक, ।

६- गार्ड बुक ।

आज्ञा से

\* \* \* \* \*